न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 175/2021

अनवान : –

1. हरिसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. उदमीराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. विमला पत्नी देवीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
3. अजय कुमार पुत्र देवीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
4. किरण पुत्री देवीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
5. पूजा पुत्री देवीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
6. किशनलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान स्टेन जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा 12 एमएसआर (मुन्सरी) तहसील भादरा।
12. बिमला पुत्री श्योनारायण जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ **गैरसायल**
3. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 21/4/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 19/19 की कुल 25.2670 है0 कृषि भूमि में सायल का 38529/126335 हिस्सा, गैरसायल स0 1 का 77059/252670 हिस्सा, गैरसायल स0 2 ता 5 का बहिब 38529/126335 हिस्सा, गैरसायल स0 6 का 4299/50534 हिस्सा भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested

देवीलाल पुत्र श्योनारायण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल स0 2 ता 5 है जिसमें गैरसायल स0 2 पत्नी एवं गैरसायल स0 3 पुत्र एवं गैरसायल स0 4 व 5

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पुत्रीयां है। देवीलाल के कुल चार वारिस है, जमाबंदी में देवीलाल पुत्र श्योनारायण के नाम रिकार्ड दर्ज है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण काश्त एवं सींव का झगड़ा बना रहता है इसलिए सायल अपने हक हिस्सा की भूमि मुताबिक किस्म अनुसार अच्छी व माड़ी एवं कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि मुश्तरका दर्ज होने के कारण गैरसायलान अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने एवं वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत करने लगे है तथा सायल के मौके पर कब्जा काश्त बाबत झगड़ा रखने लगे है इसलिए सायल विवादित भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। गैरसायलान अपने हक हिस्सा की भूमि में से अच्छी व उपजाऊ भूमि को बेचना करना चाहते है तथा गैरसायल स0 1 मुश्तरका भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को बैय करने की फिराक में है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति को भूमि बैय कर देने के बाद वह भूमि मुश्तरका होने के कारण काश्त बाबत विवाद उत्पन्न करेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि ताफैसला गैरसायलान के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावें की वो उक्त वाद भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये, रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 25.2670 है0 कृषि भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के किसी विशेष हिस्से का बेचना नही करें।

अप्रार्थीगण स0 1 ता 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की सम्पूर्ण भूमि अच्छी किस्म की है तथा सायल के कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि में हम गैरसायलान किसी भी प्रकार की दखल नही दे रहे है। सायल मुश्तरका खाता की भूमि में सहकाश्तकारों के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है इसलिए प्रार्थना पत्र सायल काबिल खारिज के है। सायल ने खाता तकसीम बाबत वाद पेश किया है जिसका हम गैरसायलान जवाब दावा पेश कर चुके है तथा खाता विभाजन करवाने में सहमत है तथा अदालत चाहे तो उसमें सहमति की प्राथमिक डिक्री जारी कर सकती है। सायल इस प्रार्थना पत्र को क्लीन हैण्ड नही लेकर आये है क्योंकि वह समस्त मुश्तरका खाता की भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर हम गैरसायलान को उक्त भूमि से मिलने वाले कृषि ऋण आदि से वंचित कर परेशान करना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावें।

अप्रार्थीया स0 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वादग्रस्त भूमि की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है तथा जब तक मिन गैरसायल का पूर्व जैरकार वाद विमला बनाम उदमीराम जो रिविजन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है जिसका निर्णय नही हो जाता है तब तक खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी नही है तथा विधि के सिद्धान्त सायल के पक्ष में ना होकर [illegible] के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested

28

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक मिन गैरसायला का वाद जैरकार है उक्त प्रकरण में किसी कदर कोई आदेश पारित न किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? उक्त वाद भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार है तथा सभी अपने हक हिस्सा मुताबिक काबिज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खाता विभाजन का बिन्दु मूल दावे में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। यदि अप्रार्थीगण अपनी हक हिस्सा व कब्जाशुदा भूमि का बैचान करता है तो प्रार्थी को कोई क्षति होनें की संभावना नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा एवं कब्जाशुदा भूमि का बैचान करता है न कि प्रार्थी का हिस्सा लेकिन किसे विशेष हिस्से का बेचान करता है तो प्रार्थी को भी क्षति होने की संभावना है। अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि सायल खाता तकसीम करवाना चाहते है जिसमें हम गैरसायलान सहमत है अगर अदालत चाहे तो सहमति की पी.डी. जारी कर सकता है अर्थात अप्रार्थीगण खाता विभाजन हेतु सहमत है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला दावा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 25.2670 है0 भूमि के विशेष हिस्से का बेचना नही करें परन्तु अप्रार्थीगण नामान्तरण दर्ज करवाने एवं अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/4/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested